The proposals for foreign investment, inter-alia, in the mining sector are received by the Secretariat of Industrial Approvals, Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Industry for consideration by FIPB. On the recommendations of the Ministry of Mines, FIPB has approved investment pattern of 33 proposals in the Mining/ Metallurgical sector involving a total investment of Rs. 2312.31 crores. The applications for grant of mineral concessions have to be made to concerned State Governments only and processed as per provision of Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957.

Payment of ad-valorem royalty for minerals

2371. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a proposal for payment of Advalorem royalty for 17 minerals;

(b) if so, the details of the proposal formulated and its likely financial impact for the current year;

(c) the reaction of the State Governments thereto; and

(d) financial benefits likely to accrue to the State Governments, State-wise as a result of the proposed hike in royalty?

THE MINISTER OF STEEL AND MINISTER OF MINES (SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA): (a) to (d) The Central Government constituted a Study Group on 30.1.95 for carrying out detailed revision of rates of royalty and dead rent applicable to major minerals (other than Coal, lignite and sand for stowing). The State Governments were duely consulted by the Study Group. The Study Group submitted its report in November, 1995 and the proposal for revision of royalty rates is under consideration of the Government.

खनिज वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक सम्मेलन

2372. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय खनिज वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस सत्र में किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया और क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) किन-किन विषयों पर चर्चाएं की गईं/निर्णय लिये गए?

इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य): (क) और (ख) अखिल भारतीय खनिजविज्ञों तथा भूविज्ञानियों का ऐसा कोई सम्मेलन दिसम्बर, 1996 में नई दिल्ली में आयोजित नहीं किया गया। तथापि राज्यों के मंत्रियों/सचिवों का एक सम्मेलन 26-27 दिसम्बर, 1996 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। राज्यों के मंत्रियों/सचिवों के सम्मेलन में निम्नलिखित मुख्य मदों पर चर्चा हुई:—(1) बड़े क्षेत्रों की अनुमति के लिए नए दिशानिर्देश (2) पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पटटे देने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना (3) खनन संबंधी रियायतें प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा झेली जाने वाली समस्याएं (4) नई खनिज नीति, 1993, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन, खनिज रियायत नियमावली 1960 तथा खनिज रियायत विकास नियमावली 1988 (5) पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृति (6) संभावित निवेशकों को आंकड़ों की आपूर्ति (7) गवेषण कार्य करने में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा राज्य सरकारों के साथ झेली जाने वाली समस्याएं (8) ब्रेनाइट संसाधनों का विकास।

(ग) इस सम्मेलन में लिये गए कुछ मुख्य निर्णयों के अनुसार केन्द्र सरकार ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 7(2) तथा 8(2) के तहत इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' में निर्दिष्ट खनिजों के बारे में पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनन पट्टों के नवीकरण के अधिकार राज्य सरकारों को हस्तांतरित किये हैं। इसके अलावा, सचिव (खान) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है विभिन्न राज्यों के खान और भूविज्ञान निदेश, भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक, फिमि के